



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 17 जनवरी 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक संवत्) [संख्या 03

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	29—50	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	55—60	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	59-79	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780.00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

पुनीत कुमार तिवारी,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखनसामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग**राज्य कर****अनुभाग-1****विज्ञप्ति/प्रोन्नति**

03 जनवरी, 2024 ई०

सं० राज्य कर-1-01/11-2024-23/2023—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित उपायुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100 ग्रेड पे रु० 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु० 15,600—39,100 ग्रेड पे रु० 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री—
1.	1961	कंचन कुमार गुप्ता
2.	1963	संतोष कुमार वर्मा-I
3.	1964	डॉ० दयाशंकर-II

2— उक्त अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

31 जनवरी, 2024 ई०

सं० राज्य कर-1-92/11-2024-22/2022—श्री शशिभूषण सिंह-I (आई०डी० नं०-110383) अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय) राज्य कर नोएडा को जनहित में अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-पंचम), राज्य कर लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-92-1/11-2024-22/2022—श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा-I (आई०डी० नं०-101923) अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर वस्ती को जनहित में अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-92-2/11-2024-22/2022—श्री ऋषिकेश प्रताप राव दीक्षित (आई०डी० नं०-103236) अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर कानपुर को जनहित में अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), राज्य कर बरेली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-92-3 / 11-2024-22 / 2022—श्री संतोष कुमार-I (आई0डी0 नं0-110315) अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर लखनऊ को जनहित में अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-प्रथम), राज्य कर प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-92-4 / 11-2024-22 / 2022—श्री सोने लाल दोहरे (आई0डी0 नं0-110485) अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-प्रथम), राज्य कर गाजियाबाद को जनहित में अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-92-5 / 11-2024-22 / 2022—श्री बृजेश कुमार मिश्रा (आई0डी0 नं0-101682) अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), राज्य कर कानपुर जोन-प्रथम कानपुर को जनहित में अपर आयुक्त ग्रेड-2 एवं संयुक्त सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश, शासन के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-93 / 11-2024-22 / 2022—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर को कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/आई0डी0 नं0	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
सर्वश्री—			
1.	कमल किशोर कुमार गौतम 112126	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) संभाग-बी राज्य कर गाजियाबाद	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील- द्वितीय), राज्य कर, बस्ती
2.	धर्मवीर सिंह-II 112000	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सेल), राज्य कर वाराणसी जोन प्रथम	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील- प्रथम), राज्य कर, गाजियाबाद
3.	राम आसरे सेठ 111997	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (टैक्स कर ऑडिट) राज्य कर मुरादाबाद	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुरादाबाद
4.	विजयानन्द पाण्डेय 112095	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर झांसी	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, सहारनपुर
5.	धर्मवीर 112100	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) रेन्ज-सी, राज्य कर गाजियाबाद	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील- द्वितीय), राज्य कर, कानपुर
6.	शरद कुमार शुक्ला 112096	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर इटावा	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर, मिर्जापुर

सं0 राज्य कर-1-93-1/11-2024-22/2022—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर को कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/आई0डी0 नं0	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
सर्वश्री—			
1.	अरुण कुमार सिंह-III 112099	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य कर झांसी	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर मुजफ्फरनगर
2.	अजय कुमार-I 100815	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर मुजफ्फरनगर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर अलीगढ़
3.	संजय कुमार पाठक 112076	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (उ0न्या0का0) राज्य कर लखनऊ	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर कानपुर जोन प्रथम कानपुर
4.	अशोक कुमार सिंह-V 112036	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील- द्वितीय), राज्य कर गाजियाबाद
5.	दिनेश कुमार वर्मा-III 112150	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील- प्रथम), राज्य कर मुरादाबाद
6.	लाल जीत यादव 112151	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) संभाग-बांदा राज्य कर बांदा	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील- प्रथम), राज्य कर झांसी

सं0 राज्य कर-1-93-2/11-2024-22/2022—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर को कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0	अधिकारी का	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
सं0	नाम/आई0डी0 नं0		
1	2	3	4
सर्वश्री—			
1.	राम केश्वर 112077	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर गोण्डा
2.	संजय कुमार-III 112612	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) संभाग-ए राज्य कर गाजियाबाद	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर गोरखपुर
3.	विवेक आर्य 112122	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0), राज्य कर नोएडा	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), राज्य कर नोएडा
4.	अमरेश त्रिपाठी 112128	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) संभाग-बी राज्य कर प्रयागराज	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), जोन द्वितीय राज्य कर लखनऊ
5.	अंजनी कुमार अग्रवाल 112327	नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर पूर्व तैनाती-संयुक्त आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (विधि), राज्य कर मुख्यालय लखनऊ

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

29 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 राज्य कर-1-423/11-2024-15/2023—सुश्री अनुपमा गोयल (ज्येष्ठता क्रमांक-1335), अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—6,7000, ग्रेड पे रु0 8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 राज्य कर-1-424/11-2024-20/2023—श्री गुलाब चन्द्र-III (ज्येष्ठता क्रमांक-1591), संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 7,600/ पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकार का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 राज्य कर-1-425/11-2024-23/2023—श्री सुनील कुमार-II (ज्येष्ठता क्रमांक-1979), उपायुक्त (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 7,600/ पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 राज्य कर-1-426/11-2024-24/2023—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित सहायक आयुक्त (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
सर्वश्री—		
1.	2579	राजेश कुमार यादव
2.	2581	हीरालाल जायसवाल
3.	2582	रुद्ध शेखर राय

2— उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

अनुभाग-3

21 मई, 2024 ई0

सं0 552/11-3-2024-55/07-टी0सी0—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर (सम्प्रति राज्य कर) को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की सस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सांख्यिकीय अधिकारी वाणिज्य कर सम्प्रति राज्य कर) के पद पर (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री—
1.	81	अशोक कुमार मान
2.	82	मंजूर आलम
3.	83	लाल बहादुर मौर्य
4.	84	उदय पाल सिंह

2— उक्त अधिकारियों की प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3— उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

अनुभाग-1

06 जून, 2024 ई0

सं0 राज्य कर-1-552/11-2024-15/2023—श्री शशांक शेखर मिश्र (ज्येष्ठता क्रमांक-1340) अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000, ग्रेड पे रु0 8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

13 जून, 2024 ई0

सं0 राज्य कर-1-602/11-2024-23/2023—श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र-II, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ज्येष्ठता क्रमांक-1586) को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री सुशील कुमार सिंह-II (ज्येष्ठता क्रमांक-1587) की पदोन्नति की तिथि

01 फरवरी, 2024 से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2— इनके तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किए जायेंगे।

14 जून, 2024 ई0

सं0 राज्य कर-1-602/11-2024-23/2023—श्री आदित्य भारती (ज्येष्ठता क्रमांक-1985), उपायुक्त (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

01 जुलाई, 2024 ई0

सं0 राज्य कर-1-674/11-2024-15/2023—श्री दिग्विजय नाथ सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-1342) अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000, ग्रेड पे रु0 8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 राज्य कर-1-675/11-2024-20/2023—श्री प्रशान्त कुमार-I (ज्येष्ठता क्रमांक-1646), संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड 2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400—67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 राज्य कर-1-676/11-2024-23/2023—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित उपायुक्त (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		(सर्वश्री / श्रीमती)–
1.	1986	अनीता गब्ब्याल
2.	1989	राकेश कुमार गौतम

2– उक्त अधिकारियों का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

05 जुलाई, 2024 ई0

सं० राज्य कर-1-655/11-2024-973(06)/2022–श्रीमती सुजाता सिंह, उपायुक्त, राज्य कर (ज्येष्ठता क्रमांक-1965) को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री शरद चन्द्र (ज्येष्ठता क्रमांक-1966) की पदोन्नति की तिथि 12 जनवरी, 2024 से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड पे रु० 7,600/- पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2– उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

15 जुलाई, 2024 ई0

सं० राज्य कर-1-718/11-2024-15/2023–श्री हरी राम (ज्येष्ठता क्रमांक-1344) अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु० 37,400–67,000 ग्रेड पे रु० 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (वेतनमान रु० 37,400–67,000, ग्रेड पे रु० 8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2– उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० राज्य कर-1-722/11-2024-23/2023–राज्य कर विभाग के निम्नलिखित उपायुक्त (वेतनमान रु० 15,600–39,100 ग्रेड पे रु० 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु० 15,600–39,100 ग्रेड पे रु० 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्वारा प्रदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री—
1.	1991	सुरेन्द्र सिंह
2.	1992	चन्द्र शेखर-II

2— उक्त अधिकारियों का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० राज्य कर-1-723/11-2024-20/2023—राज्य कर विभाग के श्रीमती मोनू त्रिपाठी (ज्येष्ठता क्रमांक-1648), संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु० 15,600—39,100 ग्रेड पे रु० 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— उक्त अधिकारी की तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० राज्य कर-1-724/11-2024-24/2023—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित सहायक आयुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100 ग्रेड पे रु० 5,400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100 ग्रेड पे रु० 6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—
1.	2580	भावना अग्रवाल
2.	2588	रेनू सिंह
3.	2589	संदीप कुमार वर्मा
4.	2590	कंचन सिंह गौर
5.	2591	जीशान अफजाल
6.	2592	अनीता-II
7.	2593	ममता गुप्ता

2— उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

विज्ञप्ति/शुद्धि-पत्र

सं0 राज्य कर-1-744/11-2024-23/2023—राज्य कर अनुभाग-1 की विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या-राज्य कर-1-602/11-2024-20/2023, दिनांक 14 जून, 2024 द्वारा श्री आदित्य भारती (ज्येष्ठता क्रमांक-1985) को उपायुक्त से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।

2— उक्त प्रोन्नत आदेश दिनांक 14 जून, 2024 के प्रस्तर-2 में एतद्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है—

उक्त अधिकारी की तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 राज्य कर-1-745/11-2024-15/2023—राज्य कर अनुभाग-1 की विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या-राज्य कर-1-549/11-2024-20/2023, दिनांक 13 जून, 2024 द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र-II (ज्येष्ठता क्रमांक-1586) को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर के पद पर उनके कनिष्ठ श्री सुशील कुमार सिंह-II (ज्येष्ठता क्रमांक-1587) की पदोन्नति की तिथि दिनांक 01 फरवरी, 2024 से नोशनल पदोन्नति एवं कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान की गई है।

2— उक्त प्रोन्नत आदेश दिनांक 13 जून, 2024 के प्रस्तर-2 में एतद्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है—

उक्त अधिकारी की तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
डा0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

20 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 रा0क0-1-678/11-2024-15/18—श्री राकेश कुमार यादव, अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, न्यायिक सम्भाग, इटावा के प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 मई, 2024 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्होंने अपने नाम से सरनेम “यादव” विलोपित करने हेतु अंग्रेजी दैनिक “हिन्दुस्तान टाइम्स” दिनांक 25 मई, 2024 तथा हिंदी दैनिक “अमर उजाला” दिनांक 25 मई, 2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कराया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा नोटरी सत्यापित शपथ-पत्र दिनांक 22 मई, 2024 की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति भी उपलब्ध कराया गया है।

2— उक्त के क्रम में श्री राकेश कुमार यादव, अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, न्यायिक सम्भाग, इटावा ने विभागीय वेब-साइट सहित अन्य सु-संगत विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन/परिवर्धन करने का अनुरोध किया है।

3— इस सम्बन्ध में आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश के पत्रांक-स्था-1-पी0एफ0-श्री राकेश कुमार यादव, अपर आयुक्त ग्रेड-2/95/राज्य कर, दिनांक 10 जून, 2024 द्वारा उपलब्ध करायें गए प्रस्ताव पर M.G.O. के प्रस्तर-250(1) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत समयक विचारोपरान्त श्री राकेश कुमार यादव, अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, न्यायिक सम्भाग, इटावा के नाम से उनके उपनाम “यादव” को एतद्वारा विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-2

09 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I/817827/2024/11-2-2024—मूल्यसंवर्धित कर व्यवस्था के स्थान पर वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में एक समान कर प्रणाली के रूप में जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने के दृष्टिगत सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2019/2188/बीस-1-ई-2019-यूओ-176/19, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन विभाग को विभक्त करते हुए राज्य कर विभाग के नाम से अलग विभाग गठित किया गया है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तित होने वाले समस्त कार्य व्यवहृत करने के आदेश दिए गए हैं।

2— आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय “वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान” का नाम परिवर्तित करते हुए उसका नाम “उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान” किये जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

अनुभाग-1

02 जनवरी, 2025 ई0

सं0 रा0क0-1-I/840234/2025/11-2024-973(11)/2022—तात्कालिक प्रभाव से शासकीय हित में सुश्री स्वाति अग्रवाल, सहायक आयुक्त (सम्बद्ध) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को सहायक आयुक्त, सेक्टर-8, झॉसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव।

अनुभाग-3

24 जनवरी, 2025 ई0

सं0 71/11-3-2025—तात्कालिक प्रभाव से जनहित में श्री उदय पाल सिंह (आई डी नंबर 400096), सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर, प्रयागराज जोन, प्रयागराज को स्थानांतरित करते हुए सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर, गाजियाबाद द्वितीय के रिक्त पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
रघुवीर प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग-1

नियुक्ति/विज्ञप्ति

21 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 I/940683/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री दिनेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त ग्रेड-1, बरेली जोन बरेली को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य, (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940684/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती वंदना सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-1, इटावा जोन इटावा को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940686/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रमोद कुमार चौधरी, राज्य कर अधिकारी, खण्ड-1, गोरखपुर को सहायक आयुक्त (ग्रेड वेतन 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई 8, गाज़ियाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940690/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती शिखा सिंह, राज्य कर अधिकारी, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज को सहायक आयुक्त (ग्रेड वेतन 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई 5, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940693/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री चन्द्र भूषण डुंगराकोटी, उपायुक्त, खण्ड-5, मुजफ्फरनगर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खण्ड-9, वाराणसी प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940695/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री बृजेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर सम्प्रति संयुक्त सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13-क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन के पद पर एतद्वारा यथावत तैनात किया जाता है।

सं0 I/940697/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री मुकेश आनंद पाण्डेय, उपायुक्त, खण्ड-1, मुरादाबाद को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खण्ड-2, गाज़ियाबाद प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940699/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री मृत्युंजय कुमार राय, उपायुक्त, खण्ड-4, गोरखपुर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, वि0अनु0शा0, सीतापुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940700/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार सिंह-1, उपायुक्त, वि0अनु0शा0 रेन्ज ए, अलीगढ़ को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि-2, लखनऊ प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940702/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री विकास सागर, उपायुक्त, खण्ड-1, मऊनाथ भंजन को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खण्ड-2, चंदौली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940703/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री राज नाथ तिवारी, उपायुक्त, वि0अनु0शा0 मऊनाथ भंजन को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खण्ड-1, लखीमपुर खीरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940705/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अजित कुमार सिंह-2, उपायुक्त, खण्ड-9, सहारनपुर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, वि०अनु०शा० रेंज ए, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940706/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री पारस भान सिंह, उपायुक्त, खण्ड-1, मिर्जापुर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खण्ड-10, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940707/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री राज कुमार कुरील, उपायुक्त, खण्ड 13, वाराणसी प्रथम को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, वि०अनु०शा०, रेंज बी, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940708/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री सुभाष चन्द्र-II, सहायक आयुक्त, खण्ड-8, गोरखपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, वि०अनु०शा० रेंज बी, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940709/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री वीर सिंह, सहायक आयुक्त, वि०अनु०शा० रेन्ज बी, सहारनपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त (कर वसूली/कर निर्धारण), वाराणसी प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940710/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री महेश चन्द्र, सहायक आयुक्त, खण्ड-5, सहारनपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त (कर वसूली कर निर्धारण), झाँसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940711/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री जितेन्द्र कुमार रमन, सहायक आयुक्त, वि०अनु०शा० रेन्ज बी, गोरखपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त (कर वसूली/कर निर्धारण), मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940712/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार-IX, सहायक आयुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि 1, झाँसी को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940713/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार कन्नौजिया-II, उपायुक्त, खण्ड-28, कानपुर को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कॉर्पोरेट सेल, कानपुर प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940714/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री दिनेश पाल, उपायुक्त, खण्ड-1, वाराणसी को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, ग्रेटर नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940715/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपायुक्त, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, मुरादाबाद संभाग-बी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940716/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अमर जीत राम, उपायुक्त, वि0अनु0शा0 गोंडा को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, वाराणसी संभाग-ए के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940717/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती दीप्ति कटियार, संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, ग्रेटर नोएडा को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड वेतन-8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 वाराणसी-प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940718/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री आशीष निरंजन, संयुक्त आयुक्त, टैक्स ऑडिट, वाराणसी द्वितीय को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड वेतन-8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 बरेली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940721/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, उपायुक्त, खण्ड-2, बरेली को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, वि0अनु0शा0, वाराणसी रेंज सी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940722/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री हृषिकेश प्रताप राव दीक्षित, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 बरेली को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, इटावा जोन इटावा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940723/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री आनन्द कुमार सिंह-I, अपर आयुक्त, ग्रेड 2, वि0अनु0शा0 वाराणसी प्रथम को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, वाराणसी प्रथम जोन वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940725/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय बहादुर, सहायक आयुक्त, सरधना, मेरठ उनके कनिष्ठ श्री कुलदीप ज्ञानी की उपायुक्त के पद पर पदोन्नति की तिथि 21 फरवरी, 2025 से उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नोशनल पदोन्नति व कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

कार्यालय-ज्ञाप

16 जून, 2025 ई0

सं0 I/995173/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती पूनम सिंह, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज ए, आगरा को स्थानांतरित करते हुए संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, गाज़ियाबाद प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995174/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार-5, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, बुलंदशहर (अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त, ग्रेड 2, अपील-4, गाज़ियाबाद) को स्थानांतरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, एस0आई0बी0, झाँसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995178/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रदीप कुमार सोनी, संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0, रेन्ज बी, गोरखपुर को अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड 2, अपील 2, प्रयागराज के पद पर तैनात करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-3, प्रयागराज के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2— उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री प्रदीप कुमार सोनी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सं0 I/995184/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अपर आयुक्त ग्रेड-1, लखनऊ द्वितीय को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन रु0 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त के साथ ही श्री राजेश कुमार पाण्डेय को अपर आयुक्त, ग्रेड-1, प्रयागराज के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री राजेश कुमार पाण्डेय को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सं0 I/995186/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री धीरेंद्र प्रताप, अपर आयुक्त ग्रेड-1, झाँसी को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन रु0 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, मुजफ्फरनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995188/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री दिनेश कुमार सचान, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, बिजनौर (अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-2, मुरादाबाद) को अपर आयुक्त ग्रेड—1, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, झाँसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995191/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री ललित मिश्रा, अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-1, नोएडा को अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-1, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995354/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री नवीन कुमार, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, सहारनपुर को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0, रेन्ज बी, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995358/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री विनोद कुमार यादव, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज ए, अयोध्या को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995367/2025-11-1001(002)/8/2024—श्री राम मिलन प्रसाद, अपर आयुक्त, ग्रेड 2, अपील-5, गाज़ियाबाद को अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-1, गाज़ियाबाद का अतिरिक्त प्रभार एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

2— उक्त अतिरिक्त प्रभार के सापेक्ष श्री राम मिलन प्रसाद को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 I/995384/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से मो0 याहिया अंसारी, अपर आयुक्त, ग्रेड 2, अपील-2, प्रयागराज (अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-3, प्रयागराज) को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, बुलंदशहर के पद पर तैनात करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-4, गाज़ियाबाद के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2— उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु मो0 याहिया अंसारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सं0 I/995390/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री धरमवीर, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-2, कानपुर को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, जौनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995397/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री ओम प्रकाश-5, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-3, नोएडा को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, बिजनौर के पद पर तैनात करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-2, मुरादाबाद के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2— उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री ओम प्रकाश-5 को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सं0 I/995402/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री धरमवीर सिंह-2, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-1, गाज़ियाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-1, वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/9953406/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राम केश्वर, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, गोंडा को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, एस0आई0बी0, गाज़ियाबाद प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995412/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री रवि राज प्रताप मल्ल, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, एस0आई0बी0, मेरठ को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-1, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995435/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री बृजेश कुमार मिश्रा, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर सम्प्रति संयुक्त सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, शासन को अपर आयुक्त, ग्रेड-1, लखनऊ द्वितीय का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2— उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री बृजेश कुमार मिश्रा को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 I/995439/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती सांत्वना गौतम, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), मुजफ्फरनगर को अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-2, कानपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995444/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अजित कुमार सिंह-1, उपायुक्त, खण्ड-7, झाँसी को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, (कार्यपालक), रेन्ज ए, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995450/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री शिव आसरे सिंह, उपायुक्त, खण्ड-4, मथुरा को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0, बुलंदशहर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995468/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त, ग्रेड 2, एस0आई0बी0, गाज़ियाबाद प्रथम को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-3, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995471/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री श्याम सुंदर तिवारी, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, एस०आई०बी०, अलीगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, गोंडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995475/2025-11-1001(002)/8/2024—श्री अक्षय लाल, सहायक आयुक्त, टैक्स ऑडिट, गाज़ियाबाद प्रथम को उनके कनिष्ठ श्री पवन कुमार-I की उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु० 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति दिनांक 17 मई, 2025 से नोशनल एवं कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-1, जौनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995483/2025-11-1001(002)/8/2024—सुश्री रुचि यादव, राज्य कर अधिकारी, खण्ड-1, रायबरेली को उनके कनिष्ठ सुश्री स्वास्तिक सिंह की सहायक आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु० 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति दिनांक 17 मई, 2025 से नोशनल एवं कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड-2, पीलीभीत के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995499/2025-11-1001(002)/8/2024—सुश्री रुचि अग्रवाल, राज्य कर अधिकारी, सचल दल इकाई-2, वाराणसी प्रथम को उनके कनिष्ठ श्री मुकेश कुमार रस्तोगी की सहायक आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु० 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति दिनांक 17 मई, 2025 से नोशनल एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड-1, संभल के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

कार्यालय-ज्ञाप

सं० I/995507/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार राम त्रिपाठी, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील, जौनपुर को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, एस०आई०बी०, अलीगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995515/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री सुशील कुमार सिंह, अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-1, वाराणसी को स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, एस०आई०बी०, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995525/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री कमलेश चन्द्र, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, कानपुर प्रथम को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, लखनऊ प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/995531/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त, एस०आई०बी०, बुलंदशहर को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995538/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री श्रीराम गोंड, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, गाज़ियाबाद प्रथम को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज ए, अयोध्या के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/995543/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री देवेंद्र सिंह-2, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, लखनऊ प्रथम को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), रेन्ज बी, कानपुर प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव।

शुद्धि-पत्र

08 जुलाई, 2025 ई0

सं0 I/1018634/2025-11-1099/230/2025—डा0 अनुपमा गोयल, अपर आयुक्त ग्रेड-1 अलीगढ़ को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन रु0 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने विषयक नियुक्ति/विज्ञप्ति-संख्या-1/1017448/2025-11-1099/230/2025 दिनांक 07 जुलाई, 2025 में लिपिकीय त्रुटिवश सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी, पीठ-5 अंकित नहीं हो पाया है।

2— उक्त आदेश दिनांक 07 जुलाई, 2025 में डा0 अनुपमा गोयल की तैनाती सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5 वाराणसी पढ़ा एवं समझा जाएगा।

सं0 I/1018642/2025-11-1001(099)/27/2025—श्री राज नारायण यादव, उपायुक्त, खण्ड-13, प्रयागराज को उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, प्रयागराज के पद पर स्थानान्तरित किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/1017548/2025-11-1001(099)/27/2025 दिनांक 08 जुलाई, 2025 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,
रघुवीर प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

10 जुलाई, 2025 ई0

सं0 I/1021637/2025-11-1099/230/2025—कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/1017473/2025-11-1099/230/2025 दिनांक 07 जुलाई, 2025 द्वारा श्री अनिरुद्ध कुमार राय, सहायक आयुक्त, खण्ड-3 फर्रुखाबाद को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उपायुक्त टैक्स ऑडिट, मेरठ के पद पर तैनात किया गया है।

2— सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जुलाई, 2025 को निरस्त करते हुए श्री अनिरुद्ध कुमार राय, सहायक आयुक्त, खण्ड-3 फर्रुखाबाद को उनके कनिष्ठ श्री धनन्जय कुमार सिंह की उपायुक्त के पद पर

प्रोन्नति की तिथि 07 जुलाई, 2025 से उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नोशनल एवं कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, सेक्टर-3 इटावा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

कार्यालय-ज्ञाप

सं0 I/1021638/2025-11-1099/230/2025—श्री विधु शेखर पाण्डेय, उपायुक्त (प्रशासन), गोरखपुर को उपायुक्त खण्ड-3, आजमगढ़ के पद पर स्थानांतरित करने सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/1017565/2025-11-1001(099)/27/2025 दिनांक 08 जुलाई, 2025 को एतद्वारा निरस्त करते हुए उन्हें उपायुक्त, टैक्स/आडिट, प्रयागराज के पद पर तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 जनवरी, 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

03 जनवरी, 2025 ई०

सं० I/834455/2024—चूंकि राज्य सरकार अलीगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना-2031 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण एवं अमर उजाला' के संस्करण में दिनांक 02 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएवं अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवररेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने इत्यादि की शर्त के साथ ही

संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, अलीगढ़ विकास क्षेत्रान्तर्गत, अलीगढ़ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-उपयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

अनुसूची

तालिका-01

क्र० सं०	ग्राम का नाम	तहसील	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अलीगढ़ महायोजना 2031 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
				हेक्टेयर		
1	साथा	कोल	153	0.0169	कृषि	औद्योगिक
2	“	“	154	0.0303	कृषि	औद्योगिक
			योग .	0.0472		

तालिका-02

क्र० सं०	ग्राम का नाम	तहसील	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अलीगढ़ महायोजना 2031 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
				हेक्टेयर		
1	साथा	कोल	159अ, 159य	0.3573	कृषि	औद्योगिक
2	“	“	159अ, 159य	0.3573	कृषि	औद्योगिक
3	“	“	156	0.4030	कृषि	औद्योगिक
			योग .	1.1176		

सं० I/834467/2024—चूंकि राज्य सरकार हापुड-पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हापुड महायोजना-2031 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' के संस्करण में दिनांक 22 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएवं अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने इत्यादि की शर्त के साथ ही

संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत हापुड़ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	तहसील / जिला	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	हापुड़ महायोजना 2031 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	लाखन	धौलाना/हापुड़	564	0.3611 हेक्टेयर	कृषि	औद्योगिक

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

21 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० 1745(1-6)/डी०एल०आर०सी०/2024—शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम टाण्डा परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी सदर, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित गाटा सं०-225 रकबई 0.6960 हे० में से 0.2470 हे० व गाटा सं०-226 रकबई 0.1770 हे० में से 0.1625 हे० कुल रकबा 0.4095 हे० श्रेणी-5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि पुलिस विभाग के निर्वतन पर रखते हुए रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नई मण्डी को थाना बनाये जाने हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	बरन	टाण्डा	225	0.6960 में से 0.2470	श्रेणी 5-3-ड/अन्य	उत्तर प्रदेश शासन के पुलिस विभाग के निर्वर्तन पर रखते
				226	0.1770 में से 0.1625	कृषि योग्य बंजर भूमि	हुए रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नई मण्डी को थाना बनाये जाने हेतु
योग.					0.4095		

26 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 1758(1-5)/डी0एल0आर0सी0-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग (नाली/चकमार्ग) की भूमि जो बुलन्दशहर-खुरजा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना के अन्दर से प्रारम्भ होकर अन्दर ही समाप्त हो जाने के कारण इनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, ग्राम पंचायत किरा, तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, खुरजा के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के आधार पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुसूची में अंकित कुल 0.079 हेक्टेयर भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर रु0 71,00,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रु0 5,60,900.00 तथा पूंजीकृत मूल्य (मालगुजारी का 150 गुना) रु0 585/- व शासनादेशानुसार चार गुना मूल्य सहित प्रस्तावित प्रतिकर की कुल धनराशि रु0 22,44,185/- वसूल किये जाने पर बुलन्दशहर-खुरजा विकास प्राधिकरण बुलन्दशहर के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	खुरजा	खुरजा	किरा	534	0.016	नाली	बुलन्दशहर-खुरजा विकास प्राधिकरण
				555	0.011	नाली	बुलन्दशहर के निर्वतन में रखते हुये
				627	0.025	नाली	तहसील खुरजा की ग्राम किरा हेतु
				630	0.006	नाली	प्रस्तावित योजना "खुरजा औद्योगिक
				628	0.021	चकमार्ग	पार्क (Khurja Industrial Park)"
							हेतु
				योग.	0.079		

12 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1796(1-6)/डी0एल0आर0सी0/2024-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत घंसूरपुर परगना व तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, स्याना बुलन्दशहर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 26 अक्टूबर,

2024 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.031 हे0 क्षेत्राधिकारी स्याना के कार्यालय/आवास के निर्माण हेतु, पुलिस विभाग (उत्तर प्रदेश शासन का सेवारत विभाग) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	घंसूरपुर	584	0.031 हेक्टेयर	बंजर	उ0प्र0 शासन के पुलिस विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए ग्राम घंसूरपुर तहसील स्याना में क्षेत्राधिकारी स्याना के कार्यालय/आवास के निर्माण हेतु

23 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1822(1-6)/डी0एल0आर0सी0/2024-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम रौंरा परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर की आख्या पत्रांक 309/र0का0/2024 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 06 नवम्बर, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.5010 हे0 भूमि विकास क्षेत्र अनूपशहर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उच्चीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग (उत्तर प्रदेश शासन का सेवारत विभाग) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	रौंरा	314	0.501 हेक्टेयर	5-1/नवीन परती	उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए विकास क्षेत्र अनूपशहर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उच्चीकरण हेतु

चन्द्र प्रकाश सिंह,

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

01 फरवरी, 2025 ई०

सं० 2022(1-9)/डी०एल०आर०सी०/2025-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं श्रुति, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 4 में उल्लिखित ग्राम अरनियों मंसूरपुर परगना व तहसील खुरजा जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, खुरजा की ओर से आख्या पत्रांक 820/एसटी-एसडीएम दिनांक 28 जून, 2024 के साथ उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव दिनांक 18 जून, 2024 व भू०प्र०स० प्रस्ताव 10 जून, 2024 के आधार पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.220 हे०, 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अंकन रु० 01.00 प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य के हिसाब से कुल रु० 1.00 पर 30 वर्ष के लिए पुर्नग्रहण के माध्यम से पट्टे पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत वितरण खण्ड, खुरजा के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है तथा भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त रु० 10.33 मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया अंकन रु० 1549.50 कुल रु० 1550.50 प्राप्त किया जायेगा, जो विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
बुलन्दशहर	खुरजा	खुरजा	अरनियों मंसूरपुर	514	0.315 में से 0.220 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड /अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि-बंजर	उ०प्र० शासन के विद्युत विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु

श्रुति,

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 जनवरी, 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया

09 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 2470/कर अनु०/2025-26 दिनांक 24 सितम्बर, 2025 व पत्रांक 2941/लाइसेन्स अनु०/2025-26/देवरिया दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपना लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पालिका के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 31 मई, 2025 के प्रस्ताव सं० 02 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र व अमर उजाला दिनांक 25 सितम्बर, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 31 मई, 2025 के प्रस्ताव सं० 02 के द्वारा

उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025

शासनादेश सं0 625/2017-18 समस्त को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा शासनादेश सं0 124/नौ-9-98-23ज/97 दिनांक 10 जून, 1998 के अनुपालन में उ0प्र0, नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 जो नगर पालिका प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1—संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं आरम्भ—

- 1—यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025 कहलायेगी।
- 2—यह नगर पालिका परिषद की सीमा में प्रवृत्त होगा।
- 3—यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद, देवरिया में प्रवृत्त होगा।

2—परिभाषाये—उपरोक्त नियमावली के विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये—

- 1—अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, देवरिया के अध्यक्ष/प्रशासक से होगा।
- 2—अधिशाली अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।

3—नियमावली—

- 1—संक्षिप्त नाम—यह कि नियमावली नगर पालिका परिषद, देवरिया की सीमान्तर्गत लोक सुरक्षा एवं सुविधा हेतु बैटरी चालित रिक्शा वाहन हेतु लाइसेंस वसूली नियमावली कहलायेगी।
- 2—प्रसार—इसका प्रसार नगर पालिका परिषद, देवरिया की सम्पूर्ण सीमा में होगा।
- 3—नगर पालिका परिषद, देवरिया की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित देवरिया नगर सीमा से है।
- 4—प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, देवरिया के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।
- 5—अधिशाली अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है जो पंजीकरण अधिकारी होंगे।
- 6—नगर पालिका परिषद, देवरिया की सीमान्तर्गत ऐसे बैटरी चालित रिक्शा वाहन के ड्राइवर/मालिक/इंचार्ज नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त ही नगर में बैटरी चालित रिक्शा को चलायेंगे।
- 7—ऐसे बैटरी चालित रिक्शा वाहन के ड्राइवर/मालिक/इंचार्ज अपना वाहन नगर पालिका परिषद, देवरिया की सीमान्तर्गत चलाने हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, अधिशाली अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माँगने पर दिखायेंगे।

8—नगर पालिका परिषद, देवरिया की सीमान्तर्गत बैटरी चालित रिक्शा वाहन चालक, मालिक इंचारज नगर पालिका परिषद, देवरिया के प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा व्यवस्था ठेके पर है तो नियत शुल्क ठेकेदार को अदा करेगा।

9—नगर पालिका परिषद, देवरिया को अपनी व्यवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार लगाये गये शुल्क के प्रत्यक्ष रूप से वसूलने के स्थान पर सार्वजनिक नीलामी में, निर्धारित अवधि के लिए, ठेके पर देकर ठेकेदार के माध्यम से करायी गयी वसूली उपरोक्त समान नियमों के अधीन होगी।

10—पूर्व में प्रचलित वाहन शुल्क सम्बन्धी उपविधि यदि हो तो इस उपविधि के लागू होने के दिनांक से स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगी। शेष पंजीकरण की मर्दे एवं दरें यथावत् रहेंगी।

11—अधिशाली अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 2 वर्ष में बैटरी चालित रिक्शा वाहन के पंजीकरण शुल्क में पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि पुनरीक्षण सम्भव न हो सके तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पंजीकरण शुल्क की वसूली कराना सुनिश्चित करायेंगे।

12—निर्धारित किये गये शुल्क का विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं०	वाहन का प्रकार, बैटरी चालित रिक्शा वाहन	शुल्क
1	2	3
		रु०
1	प्रतिदिन	5.00
2	त्रैमासिक	300.00
3	छमाही	600.00
4	वार्षिक	1,200.00

पंजीकरण हेतु शर्त—

1—वाहनों की स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से सही होने पर ही पंजीकरण संख्या निर्गत किया जायेगा।

2—वाहन मालिक/चालक द्वारा शहर के दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित अपना चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3—तीन फोटो, आधार कार्ड/पहचान-पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।

4—वाहन मालिक/चालक द्वारा अपने वाहनों पर नगर पालिका द्वारा जारी पंजीकरण संख्या एवं वित्तीय वर्ष पीले सतह पर काली पेन्ट द्वारा अंकित कराना अनिवार्य होगा।

5—पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक मान्य होगा आगामी वर्ष हेतु पंजीकरण नवीनीकरण कराने हेतु 01 मार्च से 21 मार्च तक प्रार्थना-पत्र नगर पालिका में प्रस्तुत करना होगा।

6—यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को बन्द करते हुये पंजीकरण से मुक्त होना चाहता है तो वह लिखित प्रार्थना-पत्र देकर नगर पालिका को सूचित करेगा। तदोपरान्त वह लाइसेंस से मुक्त हो सकेगा।

7—यदि ई-रिक्शा वाहन चालक द्वारा वर्तमान वर्ष का निर्धारित शुल्क नहीं जमा किया जाता है तो नये वित्तीय वर्ष में 10% अधिभार के साथ समस्त शुल्क जमा करना पड़ेगा।

8—यदि बैटरी चालित रिक्शा वाहन का स्वामी/चालक पंजीकरण नहीं करवाता है/प्रतिवर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए लाइसेन्स की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली की जायेगी।

9—अन्य शर्तें जो नगर पालिका द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

10—बैटरी चालित रिक्शा वाहन हेतु त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक शुल्क ही छूट के साथ देय होगा। प्रतिदिन का शुल्क मात्र सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है।

विवाद का निस्तारण—उक्त के सम्बन्ध में किसी भी विवाद का निस्तारण अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ऐसे विवाद जिसमें सिद्ध हो जायेगा कि शुल्क में चोरी की गयी है, में पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क इन 10 गुना सम्बन्धित वाहन मालिक/ड्राइवर/इंचार्ज से वसूल किया जायेगा। अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी को ही प्राप्त होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, देवरिया यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक दण्ड दिया जा सकता तथा यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड जो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है जो प्रथम दोष निर्णय की तिथि से अपराधी अपराध करता रहेगा तो दिया जायेगा।

अलका सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
देवरिया।

कार्यालय नगर पंचायत डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर

लाइसेंसिंग नियंत्रण उपविधि, 2024

17 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 569/न0पं0डु0/2025-26—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपने सीमान्तर्गत स्थित दुकानों व अन्य लाइसेंसियों को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु उपविधि/उपनियम बनाया है। उक्त को सर्वसाधारण के समक्ष समाचार पत्रों में आपत्ति एवं सुझाव हेतु दिनांक 27 अक्टूबर, 2024 को क्रमशः (1) विचार परक एवं (2) अवधनामा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित कराकर 1 माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया था। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव नहीं प्राप्त हुआ। दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को बोर्ड की बैठक में बोर्ड सदस्यों द्वारा उक्त उपविधि लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जो गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषा— किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

(अ)— यह उपनियमावली नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर की लाइसेंसिंग नियंत्रण उपनियमावली, 2024 कहलायेगी।

(ब)— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(स)— प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रभारी अधिकारी से है।

(द)— प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

(य)— लाइसेंसिंग अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर होंगे।

उपनियम

1— यह उपनियम नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे।

2— इस उपनियम के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगर पंचायत द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थायी दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होंगे।

3— यह उपनियम लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलाएंगे।

4— कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किये बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने से पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेन्स उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5— लाइसेन्स हेतु आवेदन को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनाएं उसके चौहद्दी स्थिति तथा कार्य विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही लाइसेंसिंग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।

6— लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी। परन्तु 3 वर्ष के लिए 3 गुना या 5 वर्ष के लिए 5 गुना शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वर्ष में कभी भी बनवाने पर पूरा शुल्क देय है।

7— प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लेवे।

8— लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता नगर पंचायत कार्यालय पर अपेक्षित धनराशि अधिकृत कर्मचारी को जमा कर आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करे।

9— केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इससे भिन्न होगा।

10— ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जाये।

11— नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी/अधित कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और उनके दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

12— अधिशाली अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकते हैं।

13— जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उससे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

14— इस उपनियम की शर्तों व दरों में मा0 सदन संशोधन कर सकती है, शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

15— प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होंगे।

16— अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा।

17— इन उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है तथा 3 गुना से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा।

18— यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नहीं बनवा लेते हैं तो 10 रु0 प्रतिदिन या 2% की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

19— नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद लाइसेन्स शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का अधिकार होगा।

20— लाइसेन्स सम्बन्धी वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अधिशाली अधिकारी/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21— लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

22— कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट, किसी गौशाला, सार्वजनिक शौचालय, खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्क्रमण करना होगा। होटल, रेस्टोरेन्ट में साफ-सफाई आवश्यक रहेगा।

23— प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालॉजी सेन्टर, एक्सरे, क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमें कूड़ा आदि डालेंगे। खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

24— किराया/निजी भार वाहन/यात्री वाहन, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलाते हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो।

25— पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री एवं संग्रह के लिये पेट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन कराना होगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री के लिए अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेण्डरों का जमाव नहीं करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की

जायेगी जहाँ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेन्स धारी को करना होगा। बुकिंग काउंटर्स पर सिलेण्डर का जमाव नहीं होगा।

26— वाणिज्य संस्थान मिल मशीन, बिजली, डीजल, भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी सम्मिलित है, केवल हस्तचलित मशीन सम्मिलित नहीं है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आवाज/धुओं से और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रतिष्ठान, मिल संस्थान चलाना अनुमन्य नहीं होगा और उसकी जाँच कराकर लाइसेन्स निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का अधिकार होगा।

27— केबिल टी0बी0/इण्टरनेट के लाइसेन्स धारी बिना नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर की अनुमति के सड़क, घरों व बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नहीं बिछा सकेंगे।

28— सिनेमा टूरिंग टाकीज, सर्कस, प्रदर्शनी, जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो-टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

29— डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहाँ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को कराना अनिवार्य होगा।

30— प्रत्येक जानवर मालिक के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर का ईयर टैगिंग कराये जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेंगे। जानवरों को इकट्ठा ले जाने व लाने पर स्वयं साथ रहेंगे। यदि हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नहीं होगी।

31— रिक्शा, टैम्पो, बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेंगे तथा निर्धारित सीट तक यात्री बैठा सकते हैं।

32— मिठाई, चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी कूड़ादान का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करनी होगी दुकान में रखी सामग्री ढकी रखनी होगी तथा फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

33— प्रत्येक मांस-मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिक टांगे।

34— कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें जुर्माना वसूला जायेगा।

35— नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर लाइसेन्स दरें निम्न रूप से निर्धारित करते हैं—

क्रम सं०	लाइसेन्स की मद	दर
1	2	3
होटल, रेस्टोरेन्ट		
1	होटल, लाज तथा गेस्ट हाउस, धर्मशाला बारात घर	20,000.00
2	रेस्टोरेन्ट	10,000.00
3	सूक्ष्म जलपान की दुकान	2,000.00
4	भोजनालय व ढाबा	5,000.00

1	2	3
नर्सिंग होम		
5	नर्सिंग होम/प्राइवेट हास्पिटल (20 बेड)	20,000.00
6	नर्सिंग होम/प्राइवेट हास्पिटल (20 बेड के ऊपर)	30,000.00
7	पैथालॉजी सेन्टर	5,000.00
8	डेंटल क्लीनिक	10,000.00
9	प्राइवेट क्लीनिक/फिजियोथेरेपी क्लीनिक	10,000.00
10	एक्स-रे/अल्ट्रासाउण्ड/सिटी स्कैन/ई0सी0जी0	30,000.00
परिवहन		
11	आटो रिक्शा	2,000.00
12	ई-रिक्शा	2,000.00
13	बस	10,000.00
14	रिक्शा	50.00
15	चार पहिया ठेला-ठेली	500.00
16	हाथ ठेला	100.00
17	व्यवसायिक ट्राली ट्रैक्टर सहित	5,000.00
अन्य व्यवसाय		
18	फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड/इन्श्योरेन्स कम्पनी/प्राइवेट आफिस	10,000.00
19	बार/बीयर की दुकान	10,000.00
20	आइस फैक्ट्री	5,000.00
21	भू-बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	50,000.00
22	देशी शराब	10,000.00
23	विदेशी शराब	10,000.00
24	मांस की दुकान बकरा/मुर्गा/मछली	5,000.00
25	पेट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फुटकर)	25,000.00
26	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन/गैस एजेन्सी	25,000.00
27	आटा चक्की	2,000.00
28	धुलाई (लॉन्ड्री)/झाड़कलीनर्स	5,000.00
29	कोल्ड स्टोर	10,000.00
30	ईट भट्टा	20,000.00
31	इण्टरलाकिंग ईट कारखाना	20,000.00

1	2	3
32	मिठाई/पेठा आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
33	बर्फ बनाने की फैक्ट्री	5,000.00
34	लोहा टिम्बर/सीमेन्ट, ईट, बालू थोक सीमेन्ट मारबल टाइल्स	25,000.00
35	बिजली के सामान विक्रेता	5,000.00
36	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर विक्रेता	5,000.00
37	बेकरी	2,000.00
38	हेयर कटिंग सैलून	2,000.00
39	ब्यूटी पार्लर	2,000.00
40	जनरल मर्चेन्ट थोक	5,000.00
41	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	2,000.00
42	टेलरिंग हाउस	2,000.00
43	कोयला थोक विक्रेता	10,000.00
44	कोयला फुटकर विक्रेता	10,000.00
45	मसाला/पान मसाला कारखाना	10,000.00
46	पेन्ट्स की दुकान	15,000.00
47	ज्वैलर्स बड़े	10,000.00
48	ज्वैलरी आभूषण विक्रेता	10,000.00
49	डेरी फार्म	10,000.00
50	केवल इण्टरनेट/टी0वी0	10,000.00
51	अनाज तिलहन चीनी गुड़ थोक विक्रेता	5,000.00
52	अनाज तिलहन चीनी गुड़ फुटकर विक्रेता	500.00
53	टेन्ट हाउस	20,000.00
54	पान की दुकान	1,000.00
55	चाय की दुकान	1,000.00
56	परचून/किराना दुकान थोक	5,000.00
57	परचून/किराना दुकान फुटकर	2,000.00
58	किताबों की थोक दुकान	5,000.00
59	किताबों की फुटकर दुकान	2,000.00
60	लकड़ी के टाल की दुकान थोक	5,000.00
61	लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर	2,000.00

1	2	3
62	आरा मशीन	20,000.00
63	रेडियो/टीवी0 मरम्मत	2,000.00
64	फर्टिलाइजर शॉप	5,000.00
65	मिठाई की दुकान	5,000.00
66	चाट बताशों की दुकान	1,000.00
67	ड्राईफ्रूट विक्रेता	2,000.00
68	सब्जी/फल की दुकान	1,000.00
69	मसाले विक्रेता	1,000.00
70	फर्नीचर विक्रेता	5,000.00
71	बर्तन की दुकान थोक/फुटकर	2,000.00
72	कबाड़ खाना	5,000.00
73	रुई विक्रेता धुनाई मशीन	2,000.00
74	स्पेलर (तेल) धानी उद्योग	5,000.00
75	मेडीकल स्टोर बड़ा/थोक	10,000.00
76	अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता	5,000.00
77	वैद्य व यूनानी दवा/हकीम की दुकान	5,000.00
78	होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान	5,000.00
79	मोटर पार्ट्स की दुकान/वाहनों की मरम्मत वर्कशॉप	10,000.00
80	गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित	2,000.00
81	पशु बाजार	5,000.00
82	वाहन शोरूम/एजेंसी/मॉल/शोरूम	20,000.00
83	प्रिंटिंग/फ्लेक्स दुकान	10,000.00
84	एडवरटाइजिंग फर्म/होर्डिंग	25,000.00
85	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नहीं हो सके हैं।	500.00 से 25,000.00 तक

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 3,000/- (तीन हजार रुपये मात्र) अथवा लाइसेंस मद हेतु निर्धारित दर का दो गुना जो अधिक हो, तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा तो रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

साजिया अतीक,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत डुमरियागंज,
सिद्धार्थनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रविन्दर सिंह नारंग (RAVINDRA SINGH NARANG) पुत्र कुलवन्त सिंह नारंग (KULWANT SINGH NARANG) है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4904 2454 4509 में मेरा नाम रविन्दर सिंह नारंग (RAVINADAR SINGH NARANG) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रविन्दर सिंह नारंग पुत्र कुलवन्त सिंह नारंग के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रविन्दर सिंह नारंग,
पुत्र कुलवन्त सिंह नारंग,
पता-185 आर0ए0 बाजार न्यू कैण्ट,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व राजपूत (ATHARVA RAJPOOT) पुत्र प्रियेन्द्र कुमार वर्मा है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5280 2954 7507 में उसका नाम अहर्व राजपूत (ARHARVA RAJPOOT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व राजपूत (ATHARVA RAJPOOT) पुत्र प्रियेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ज्योति राजपूत, पत्नी प्रियेन्द्र कुमार वर्मा,
निवासी- 60 ब्लाक नं0-11/42,
कृष्णा नगर कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आस्था कुमारी पुत्री बृजमोहन है जो

उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 9650 8605 2188 में उसका नाम खुशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आस्था कुमारी पुत्री बृजमोहन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनीता देवी
ग्राम-बनकटा मिश्र,
जनपद-देवरिया उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरी पुत्री का सही नाम रितिका सहानी (RITIKA SAHANI) पुत्री जयहिन्द सहानी है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 4745 0688 9978 में उसका नाम शिवांशी सहानी अंकित हो गया है, जो गलत नाम अंकित हुआ है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रितिका सहानी (RITIKA SAHANI) पुत्री जयहिन्द सहानी के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सावित्री देवी पत्नी श्री जयहिन्द सहानी,
निवासी-ग्राम जीतपुर, पोस्ट परमेश्वरपुर,
तहसील सदर, थाना चिलुआताल,
जिला गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अन्या सिंह कौशिक (Anya Singh Kaushik) पुत्री बिपिन चन्द्र कौशिक है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9555 8812 0436 में उसका नाम अनन्या सिंह कौशिक (Ananya Singh Kaushik) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही

नाम आन्या सिंह कौशिक (Anya Singh Kaushik) पुत्री
बिपिन चन्द्र कौशिक के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बिपिन चन्द्र कौशिक, पुत्र राज नाथ सिंह,
नि० प्लेट नं०-201 HIG 330A-रतनलाल नगर,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र राम नरेश
श्रीवास्तव है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।
त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7750 9349 8020 में मेरा
नाम शैलेन्द्र कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है।
भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र
राम नरेश श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
निवासी-ग्राम सुरवल चन्देल,
नारी बारी प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम सुमिन्तरा देवी पत्नी मुन्नी लाल है जो मेरे
राजस्व अभिलेखों व बैनामा तथा परिवार रजिस्टर और
उपजिलाधिकारी सदर प्रयागराज द्वारा जांच आख्या में
अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या- 6395 2911
4992 में मेरा नाम सरला अंकित हो गया है, जो कि
गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुमिन्तरा देवी
पत्नी मुन्नी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।

सुमिन्तरा देवी पत्नी मुन्नीलाल
नि०-अहमदपुर असरौली,
पर० व तह० सदर, जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम सुग्गन देवी पत्नी नत्थू है जो मेरे राजस्व
अभिलेखों व बैनामा तथा परिवार रजिस्टर और
उपजिलाधिकारी सदर प्रयागराज द्वारा जांच आख्या में
अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या- 8837 6329
9412 में मेरा नाम आशा अंकित हो गया है। जो कि
गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुग्गन देवी पत्नी
नत्थू के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।

सुग्गन देवी पत्नी नत्थू
नि०-अहमदपुर असरौली, पर० व तह० सदर,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम सिद्धार्थ तिवारी (SIDDHARTHA TIWARI)
पुत्र विनय कृष्ण तिवारी है, जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में
अंकित है। जो कि सही है लेकिन त्रुटिवश मेरे आधार
कार्ड सं० 7922 1887 4782 में मेरा नाम सिद्धांत तिवारी
(SIDDHANT TIWARI) अंकित हो गया है जो कि
गलत है, भविष्य में मुझे सही नाम सिद्धार्थ तिवारी
(SIDDHARTHA TIWARI) पुत्र विनय कृष्ण तिवारी के
नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सिद्धार्थ तिवारी
पता-447 बक्शी खुर्द, दारागंज,
कच्ची सड़क, इलाहाबाद, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री का सही नाम श्रद्धा प्रजापति (Shraddha Prajapati)
पुत्री आर पी प्रजापति है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व
जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के

आधार कार्ड सं० 3629 8601 8894 में उसका नाम रिद्धिमा प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा प्रजापति (Shraddha Prajapati) पुत्री आर पी प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आर पी प्रजापति पुत्र स्व० एम डी प्रजापति,
नि० प्लॉट नं० 13 सतबरी रोड न्यू आजाद नगर,
किदवई नगर कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नगीना देवी पत्नी पारसनाथ सिंह है, जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेख, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निवास प्रमाणपत्र एवं उप जिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 8409 8794 5462 में मेरा नाम कृष्णवती देवी हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नगीना देवी पत्नी पारसनाथ सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नगीना देवी, पत्नी पारसनाथ सिंह,
निवासिनी— ग्राम भीषमपुर, पोस्ट—भीषमपुर,
थाना कपसेठी तहसील राजातालाब,
जिला वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राघव चौधरी पुत्र अवधेश चौधरी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र आदि में अंकित है मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम राघव चौधरी से बदलकर माधव चौधरी रख लिया है

भविष्य में मेरे पुत्र को माधव चौधरी पुत्र अवधेश चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अवधेश चौधरी पुत्र श्री सूर्यकांत चौधरी,
पता— 5/737 विराम खंड—5 गोमती नगर,
लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कामायनी त्रिपाठी पुत्री श्री प्रेमशंकर त्रिपाठी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। विवाहोपरांत मैंने अपना नाम कामायनी त्रिपाठी से बदलकर कामायनी मिश्रा रख लिया है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में अंकित है। भविष्य में मुझे कामायनी मिश्रा पुत्री प्रेमशंकर त्रिपाठी पत्नी विवेक मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

कामायनी मिश्रा
पता— 73-6/13ए/1 आनंद नगर रोड,
नंबर 2 नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुजीत कुमार पुत्र सुरेश कुमार बिन्द है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—5273 6115 8073 में उसका नाम शिव जीत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुजीत कुमार पुत्र सुरेश कुमार बिन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुरेश कुमार बिन्द,
कंचनपुर, परसरामपुर, बरागांव,
संत रविदास नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रेनू वर्मा पत्नी स्व० सुशील कुमार श्रीवास्तव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा तहसीलदार द्वारा निर्गत परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पति के सेवा अभिलेखों में मेरा नाम रेनू श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रेनू वर्मा पुत्री रामा शंकर लाल वर्मा पत्नी स्व० सुशील कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रेनू वर्मा,

नि०— एम०आई०जी० ए आवास विकास कालोनी,
देवप्रयाग, झलवा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरमान सिंह पुत्र राकेश सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—7597 8505 9138 में मेरा नाम होरीलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरमान सिंह पुत्र राकेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अरमान सिंह,

निवासी— ग्राम—बछौँधा सानी पोस्ट बन्थरी,
तहसील बबेरू जनपद बाँदा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नम्रता नीलम पुत्री प्रेम चन्द्र सरोज है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—5860 6809 7978 में उसका नाम नव्या अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नम्रता नीलम पुत्री प्रेम चन्द्र सरोज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रेम चन्द्र सरोज, पुत्र लालता प्रसाद सरोज,
निवासी— ग्राम व पोस्ट कंजा सराय गुलामी,
तहसील—पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शुभम मिश्रा पुत्र जय प्रकाश मिश्रा है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—7108 9778 2826 में मेरा नाम विशाल कुमार मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभम मिश्रा पुत्र जय प्रकाश मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शुभम मिश्रा,

नि० ग्राम देवली (मिश्रपुरा), सलामतपुर देवली,
जनपद गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिव नारायण पुत्र हद्दा है जो कि मेरे खतौनी, बैंक पास बुक तथा उप जिलाधिकरी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—9619 1988 3305 में मेरा नाम चिन्नर अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिव नारायण पुत्र हद्दा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शिव नारायण, पुत्र हद्दा,

निवासी— ग्राम अरणी सरपती पो० बिरोही,
तहसील सदर जनपद मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिरुद्ध यादव पुत्र राम अवधर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6124 0376 0294 में उसका नाम प्रांजल यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनिरुद्ध यादव पुत्र राम अवधर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राम अवधर पुत्र अमृत लाल,
निवासी— ग्राम तुलापुर पोस्ट सिकन्दरा,
फूलपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हेमन्त तिवारी पुत्र मुन्ना तिवारी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-4557 6708 6634 में उसका नाम पीयूष हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हेमन्त तिवारी पुत्र मुन्ना तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मुन्ना तिवारी,
पता— अमवा भैसी महदेईया,
महराजगंज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम कु० सालेहा खातून पुत्री अब्दुल माजिद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5740 3989 9627 में मेरा नाम नेहा पुत्री अब्दुल माजिद अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे कु० सालेहा खातून पुत्री अब्दुल माजिद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कु० सालेहा खातून, पुत्री अब्दुल माजिद,
निवासिनी— 38/1, मोहल्ला दक्खिन,
कोईराना, वार्ड नं०-2, पट्टीगढ़ टी,
बहादुरगंज गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अफसरी बेगम (AFSARI BEGUM) पुत्री स्व० आशिक अली पत्नी स्व० मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे डिमैट (DEMAT) एकाउण्ट नं०—IN30096610931473 ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड (GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED) में मेरा नाम (AFSARI BEGAM) अंकित हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम अफसरी बेगम (AFSARI BEGUM) है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अफसरी बेगम (AFSARI BEGUM) पुत्री स्व० आशिक अली पत्नी स्व० मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

(AFSARI BEGUM),
पुत्री स्व० आशिक अली,
पत्नी स्व० मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी,
निवासिनी 177/250 साउथ मलाका इलाहाबाद,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री विद्या सागर सिंह,
पता—निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथमंजन, जनपद—मऊ, उ०प्र०
द्वारा मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, मु० निजामुद्दीनपुरा, पोस्ट—
तहसील सदर, जिला—मऊ, उ०प्र० के प्रथम पक्ष की
हैसियत से प्रार्थना पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2025
कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए फार्म नं०-07 के पंजीकरण
हेतु अनुरोध किया गया है जिसके द्वारा उक्त फर्म के

विधान में परिवर्तन की सूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के द्वारा यह अवगत कराया गया है। कि उक्त तिथि को फर्म के द्वितीयपक्ष श्री विद्या सागर सिंह पुत्र श्री रमा शंकर सिंह, पता—निजामुद्दीनपुरा मऊनाथभंजन, जिला मऊ, उ०प्र० जो कि फर्म से अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से अलग हो रहे हैं जिनकी हिस्सेदारी भी फर्म से समाप्त कर दी गयी है, फर्म के ऊपर उनका कोई बकाया नहीं है और न ही फर्म पर उनका कोई बकाया है। फर्म में दो नये साझेदार के रूप में श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री विद्या सागर सिंह, पता—निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथभंजन, जिला मऊ, उ०प्र० को बतौर साझेदार द्वितीयपक्ष एवं श्री चितरंजन सिंह पुत्र बच्चू सिंह पता अपईल, जिला—बलिया उ०प्र० को बतौर साझेदार तृतीय पक्ष सम्मिलित हुए हैं। वर्तमान में कुल तीन साझेदारों क्रमशः श्रीमती मीना सिंह प्रथमपक्ष, श्री शक्ति सिंह द्वितीयपक्ष, श्री चितरंजन सिंह तृतीय पक्ष के बीच साझेदारी कायम रहते हुए फर्म अपना कार्य करती रहेगी।

मीना सिंह,

मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन,

मु० निजामुद्दीनपुरा, पोस्ट— तहसील सदर,

जिला—मऊ, उ०प्र०

सूचना

श्री राजनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह, मुहल्ला—मुन्शीपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ, उ०प्र० द्वारा मेसर्स वैभव शक्ति इन्फ्रा बहादुरगंज रोड भीटी मऊनाथ भंजन, मऊ उ०प्र० के प्रथम पक्ष की हैसियत से प्रार्थना पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2024 कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए फार्म नं०—07 के पंजीकरण हेतु अनुरोध किया गया है जिसके द्वारा उक्त फर्म के विधान में परिवर्तन की सूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के द्वारा यह अवगत कराया गया है। कि उक्त तिथि को फर्म के श्रीमती हरमुनी पुत्री श्री राम इकबाल सिंह मुहल्ला—मुन्शीपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ, उ०प्र० जो कि फर्म से अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से अलग हो रही है जिनके कारण उनकी हिस्सेदारी भी फर्म से समाप्त कर दी गयी है, फर्म के ऊपर उनका कोई बकाया नहीं है और न ही फर्म पर उनका कोई बकाया है। फर्म में नये साझेदार के रूप में श्री वैभव सिंह पुत्र श्री राजनाथ सिंह ग्राम व पोस्ट—डुमरावें मऊनाथभंजन, जिला मऊ, उ०प्र०,

श्री देवनाथ सिंह पुत्र श्री अवध सिंह ग्राम व पोस्ट—तुमराव मऊनाथभंजन, जिला मऊ, उ०प्र०, श्री सौरभ सिंह पुत्र राजनाथ सिंह ग्राम व पोस्ट—डुमरावें मऊनाथभंजन, जिला मऊ, उ०प्र०, श्रीमती नम्रता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह ग्राम व पोस्ट—डुमरावें मऊनाथभंजन, जिला मऊ, उ०प्र०, श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री विद्या सागर सिंह, ग्राम व पोस्ट निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन मऊ को शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल ग्यारह साझेदारों क्रमशः श्री राजनाथ सिंह प्रथमपक्ष, श्री विद्यासागर सिंह—द्वितीयपक्ष, श्री राम अवध सिंह—तृतीय पक्ष, चन्द्रप्रभा सिंह—चतुर्थ पक्ष, मेघना सिंह—पंचमपक्ष, मीना सिंह—षष्ठम पक्ष, वैभव सिंह—सप्तम पक्ष, देवनाथ सिंह—अष्टम पक्ष, सौरभ सिंह—नवम पक्ष, नम्रता सिंह दसम पक्ष, शक्ति सिंह—एकादश पक्ष के बीच साझेदारी कायम रहते हुए फर्म अपना कार्य करती रहेगी

राजनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह,

मुहल्ला—मुन्शीपुरा मऊनाथ भंजन,

जनपद—मऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्ष रघुवंशी पुत्र सुजीत कुमार सिंह है। जो उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या— 3863 5540 3081 में उनका नाम अंशु सिंह अंकित हो गया है, जो की गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उनके सही नाम हर्ष रघुवंशी पुत्र सुजीत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुजीत कुमार सिंह

पुत्र—स्व० नन्दलाल सिंह,

ग्राम—महमूदपुर, पोस्ट— दानगंज,

जिला— वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s OM SAI RAM BUILDERS, 2/22, Station Road, Rura, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh-209303 के

पते पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन सं० KAN/0007670 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 है। साझेदारी डीड दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के अनुसार साझेदारी फर्म में प्रेमा देवी, श्रीमती आरती सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह साझेदार थे। सभी साझेदारों ने फर्म द्वारा कोई कारोबार न हो सकने के कारण आपसी सहमति से दिनांक 07 जनवरी, 2026 को फर्म को विघटित करने की घोषणा की है। साझेदारों के पते आधार कार्ड के अनुसार अंकित किये गये हैं।

देवेन्द्र कुमार सिंह,
पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स—श्री कसाना एन्टरप्राइजेज, पता:—बी-9, जीडीए प्लैट, इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना, लोनी, गाजियाबाद, यू०पी० की साझेदारी में श्रीमती प्रीति एवं श्री गौतम दो साझेदार थे। दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 की संशोधित साझेदारी डीड में श्री भंवर सिंह नये पार्टनर आ गये हैं। फर्म में श्री भंवर सिंह नये पार्टनर आ जाने पर अब उपरोक्त फर्म में श्रीमती प्रीति, श्री गौतम एवं श्री भंवर सिंह तीन पार्टनर हो गये हैं। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में श्रीमती प्रीति, श्री गौतम एवं श्री भंवर सिंह पार्टनर वर्तमान में कार्यरत रहेगे। श्रीमती प्रीति, श्री गौतम एवं श्री भंवर सिंह उपरोक्त फर्म में साझेदार हैं।

प्रिति,
साझेदार,
मेसर्स—श्री कसाना एन्टरप्राइजेज,
पता:—बी-9, जीडीए प्लैट, इन्द्रप्रस्थ,
आवासीय योजना, लोनी, गाजियाबाद, यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स त्यागी सर्विस स्टेशन, पता:— प्रहलाद गढी लिंक रोड, गाजियाबाद 201010 की साझेदारी में श्री अशोक कुमार त्यागी, श्री अमित त्यागी एवं श्री दीपक त्यागी सहित तीन साझेदार थे तथा फर्म की संशोधित साझेदारी डीड 16 अगस्त, 2025 के अनुसार फर्म से श्री दीपक त्यागी

फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब ले व देकर अलग हो गये हैं। जिसकी सभी को पूर्ण जानकारी है। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 16 अगस्त, 2025 के अनुसार फर्म में श्री अंकुश त्यागी फर्म में नये आ गये हैं। वर्तमान फर्म में श्री अशोक कुमार त्यागी, श्री अमित त्यागी एवं श्री अंकुश त्यागी सहित तीन साझेदार कार्यरत रहेंगे।

अशोक कुमार त्यागी,
साझेदार,
मेसर्स त्यागी सर्विस स्टेशन,
पता:— प्रहलाद गढी लिंक रोड, गाजियाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत साझेदार फर्म मे० शीतला प्रसाद फिलिंग स्टेशन पता अराजी न० 586, 587 सराई लंगर पार परगना कोड़ा, जिला—फतेहपुर, तहसील—बिंदकी उत्तर प्रदेश 212659 पंजीकरण संख्या FAT/0019672 दिनांक 08 नवम्बर, 2024 जिसमें (1) ओमी गुप्ता पत्नी श्री अनुराग गुप्ता निवासी 117/K-64, आर० एस० पुरम सेक्टर-1, सर्वोदय नगर, नवीन नगर, कानपुर नगर— 208025, उत्तर प्रदेश (2) मोना शुक्ला पत्नी श्री प्रमोद कुमार शुक्ल निवासी डी-296, विश्व बैंक कॉलोनी, बर्रा, कानपुर नगर—208027, उत्तर प्रदेश साझेदार थे। फर्म से मोना शुक्ला पत्नी श्री प्रमोद कुमार शुक्ल स्वेच्छा से दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को सेवानिवृत्त हो गई हैं और फर्म में इनकी कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं रह गई है। फर्म में मात्र 1 साझेदार शेष रहने के कारण फर्म का विघटन दिनांक 30 सितम्बर 2025 को कर दिया गया है। यह विघटन साझेदारों के बीच आपसी सहमति से विघटन विलेख के अनुसार हुआ है। फर्म की संपत्ति, देनदारियों और खातों का निपटारा विघटन विलेख के अनुसार किया जा रहा है।

ओमी गुप्ता,
भागीदार,
फर्म मे० शीतला प्रसाद फिलिंग स्टेशन,
पता— अराजी न० 586, 587 सराई लंगर पार,
परगना कोड़ा, जिला—फतेहपुर,
तहसील—बिंदकी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/s SHRI BAHUBALI TRADER PLOT NO 34 VILLAGE KAMRUDDINNAGAR, SARDHANA MEERUT ROAD MANDHIYAI SARDHANA, MEERUT UP 250342 की साझीदारी में Shri Siddhant Jain, Smt. Sapna Jain, Shri Gaurav Jain and Smt. Neeti Agarwal साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को संशोधित साझीदारी नामा के अनुसार Shri Kunal Jain, Shri Manish Jain and Shri Akshat Jain साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा Shri Siddhant Jain, Smt. Sapna Jain and Smt. Neeti Agarwal साझीदारी से अपना हिसाब किताब ले-देकर अलग हुये हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 की संशोधित साझीदारी नामा के अनुसार Shri Gaurav Jain, Shri Kunal Jain, Shri Manish Jain and Shri Akshat Jain साझीदार हैं।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

Gaurav Jain,
साझीदार,

M/s SHRI BAHUBALI TRADER.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अरोड़ा केमिकल वर्क्स, पता- ई-192, कवि नगर, इन्डस्ट्रियल ऐरिया, गाजियाबाद जिसका पंजीकरण संख्या 28173 (एम) है। उक्त फर्म में 1-श्री पुरुषोत्तम अरोड़ा तथा श्रीमती शशि अरोड़ा थे। श्री पुरुषोत्तम अरोड़ा दिनांक 01 अगस्त, 2022 से अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो गये हैं तथा नए पार्टनर दिनांक 01 अगस्त, 2022 से कैलाश अरोड़ा तथा 2- स्वाति अरोड़ा फर्म में सम्मिलित हुए हैं। भविष्य में कुल तीन पार्टनर 01- श्रीमती शशि अरोड़ा 02- श्री कैलाश अरोड़ा तथा 03- स्वाति अरोड़ा फर्म को संचालित करेंगे।

शशि अरोड़ा
पार्टनर,

मेसर्स अरोड़ा केमिकल वर्क्स,
पता-ई-192, कवि नगर, इन्डस्ट्रियल ऐरिया,
गाजियाबाद उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिव टिम्बर प्रोडक्ट्स पता-शॉप नं0-5 कासना प्लाजा, एस-9 साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर जिसका पंजीकरण संख्या-23276 (एम) है। उक्त फर्म में 1- श्री दिलिप अग्रवाल 2-अतीक अहमद बर्नी, 3- श्री दिनेश कुमार मित्तल 4- श्री अशोक कुमार मित्तल, 5- श्री विनोद कुमार जिन्दल थे। श्री दिनेश कुमार मित्तल तथा श्री विनोद कुमार जिन्दल दिनांक 06 नवम्बर, 2025 से अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो गये हैं तथा नए पार्टनर दिनांक 06 नवम्बर, 2025 से श्री शिवम अग्रवाल फर्म में सम्मिलित हुए हैं। भविष्य में कुल चार पार्टनर 1-श्री दिलिप अग्रवाल, 2-अतीक अहमद बर्नी, 3- श्री अशोक कुमार मित्तल, 4- श्री शिवम अग्रवाल फर्म को संचालित करेंगे।

दिलिप अग्रवाल,

मेसर्स शिव टिम्बर प्रोडक्ट्स,
पता-शॉप नं0-5 कासना प्लाजा,
एस-9 साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा,
गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिनी की फर्म मेसर्स श्री सिद्धी विनायक इण्डेन गैस सर्विस पता स्टेडियम रोड, बरेली उत्तर प्रदेश 243122 है जिसकी पंजीकरण सं0-BAR/0012920 है, यह फर्म दिनांक 18 अगस्त, 2022 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार श्री अधीर सक्सेना पुत्र श्री गिरजा शंकर सक्सेना निवासी 127, दर्जी चौक बडा बाजार, बरेली उत्तर प्रदेश जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त/रिटायर हो रहे हैं। उक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार कमशः 1- श्रीमती अपर्णा गुप्ता, 2-श्री अंशुल गुप्ता साझेदार हैं।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अपर्णा गुप्ता,
साझेदार,

मेसर्स श्री सिद्धी विनायक इण्डेन गैस सर्विस,
पता- स्टेडियम रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० कल्पना पुत्री ज्ञानचन्द्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8172 2525 6773 में मेरा नाम कल्पना गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० कल्पना पुत्री ज्ञानचन्द्र पत्नी सूरज गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० कल्पना, पत्नी सूरज गुप्ता,
निवासिनी – तिवारी का तालाब,
अहमदपुर असरौली उपरहार,
परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षुल साहू (HARSHUL SAHU) पुत्र चन्दन साहू है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—5270 0567 9880 में उसका नाम अद्विक साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षुल साहू (HARSHUL SAHU) पुत्र चन्दन साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चन्दन साहू,
515 नेता नगर, कीडगंज,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अरनव मिश्र (ARNAV MISHRA) पुत्र संजय मिश्र है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3434 6074 5496 में उसका नाम यश मिश्र अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम

अरनव मिश्र (ARNAV MISHRA) पुत्र संजय मिश्र के नाम जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण गयी की गयी है।

पूनम मिश्र पत्नी संजय मिश्र,
निवासी इब्राहिमपुर बिहरिया परगना बिहार,
तहसील कुण्डा जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि गौतम पुत्री जय प्रकाश गौतम है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 5826 1392 2091 में उसका नाम सृष्टि सिन्हा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि गौतम पुत्री जय प्रकाश गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जय प्रकाश गौतम पुत्र फूलचन्द्र,
पता—गौरा खास, जखनियां, गाजीपुर (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश चक (ANSH CHAK) पुत्र संतोष कुमार चक है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—5457 2033 3592 में उसका नाम अंश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश चक पुत्र संतोष कुमार चक के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संतोष कुमार चक पुत्र बसन्त लाल,
396/336 कोलोनेलगंज इलाहाबाद,
कचेहरी प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पी यस दिव्यार्थ पुत्र शेर बहादुर है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवस मेरे आधार संख्या 9276 6283 9084 मे मेरा नाम पम्मी शेर बहादुर दिव्यार्थ अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मे मेरे सही नाम पी यस दिव्यार्थ पुत्र शेर बहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण को गई है।

पी यस दिव्यार्थ पुत्र शेर बहादुर,
मधुपुर, मछली शहर जौनपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सानवी पुत्री कौशल किशोर पाण्डेय है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, मैने अपने पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सानवी से बदलकर आध्या पाण्डेय रख लिया है। भविष्य मे मेरी पुत्री को आध्या पाण्डेय पुत्री कौशल किशोर पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जावे।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताये पूर्ण स्वयं मेरे द्वारा की गई है।

कौशल किशोर पाण्डेय,
पुत्र अवधेश पाण्डेय,
निवासी— ग्राम व पोस्ट बालक मऊ,
जिला कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वामिका (VAMIKA) पुत्री संजय कुमार है । जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 4612 9296 2641 में उसका नाम अर्शिता तिवारी अंकित हो गया है। जोकि गलत है । भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही

नाम वामिका (VAMIKA) पुत्री संजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार पुत्र श्री निवास,
पता— ग्राम तमोरिया बुजुर्ग पोस्ट—अरगुपुर,
तहसील बांगरमऊ जिला उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मायरा मेराज (Maira Meraj) पुत्री मेराज अहमद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 8626 7504 9169 में उसका नाम एरम मेराज अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मायरा मेराज (Maira Meraj) पुत्री मेराज अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मेराज अहमद पुत्र रफीक अहमद,
पता — 50 शौकत अली रोड अटाला,
प्रयागराज (उ०प्र०)।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० आरती (Km Arti) पुत्री लाजपत सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—5034 3024 5886 में मेरा नाम शान्ती देवी अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० आरती (Km Arti) पुत्री लाजपत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० आरती (Km Arti) पुत्री लाजपत सिंह,
निवासी— ग्राम नाथपुर पोस्ट कमालपुर,
सिंधपुरा कासगंज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंगद चौबे पुत्र अभिराम दिवाकर चौबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9129 9558 7960 में उसका नाम रौनक दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंगद चौबे पुत्र अभिराम चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अभिराम चौबे,

ग्राम हिरापुर महिमापुर, पोस्ट दादूपुर,
जिला वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ता का सही नाम विश्वनाथ शुक्ला पुत्र संजय शुक्ला है जो कि शपथकर्ता के शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश शपथकर्ता के आधार कार्ड सं0-9308 8314 9319 में शपथकर्ता का नाम आकाश शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में शपथकर्ता को उसके सही नाम विश्वनाथ शुक्ला पुत्र संजय शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विश्वनाथ शुक्ला, पुत्र संजय शुक्ला,
निवासी- ग्रैण्ड होटल, गोलघर (पुर्दिलपुर),
जिला-गोरखपुर, उ0प्र0।